क्रमांकः प. 9(11)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : ७५/७२/२०५

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला जालोर की तहसील सांचोर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित. किया जावेगा एवं इन्कृत वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगा :—

| क. सं. | जिला / तहसील | मूल राजस्व ग्राम का नाम | मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | | प्रस्तावित नवीन ऱाजस्व ग्राम का नाम | प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | | दूरी कि. मी. में | मूल राजस्व ग्राम का शेह रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) |
|-----------|------------------|----------------------------|---|------------|---|--|-----------|---------------------------|---|
| | | | जन संख्या | क्षेत्रफल- | | जन • संख्या | क्षेत्रफल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | जालोर/ सांचोर | भादरणा | 3425 | 2047.60 | विष्णुगढ़ | 428 | 244.63 | 3.0 | 1802.97 |

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एव नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, जालोर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से, (दिनेश बन्द जैन) संयुक्त शासन सचिव

कृ०५०उ०..